न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0**

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 56/2021 (पुराना) तथा 109/2022 इस न्यायालय का

दर्ज दिनांकः–30.09.2021

सुवालाल पुत्र छीतरमल जाति कुमावत निवासी ढींढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. काना पुत्र मांगू–फौत

 1/1 रामसहाय पुत्र स्व0 काना
 1/2 पोस्ती देवी पत्नि स्व0 काना
 1/3 सावित्री पुत्री स्व0 काना
 1/4 सीता पुत्री स्व0 काना
 1/5 सुलोचना पुत्री स्व0 काना
 1/6 पुष्पा पुत्री स्व0 काना
 1/7 विद्या पुत्री स्व0 काना
 1/8 पुष्पा पत्नि स्व0 बंशी
 1/9 यश पुत्र स्व0 बंशी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा पत्नि स्व0 बंशी।
 1/10 मयंक पुत्र स्व0 बंशी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा पत्नि स्व0 बंशी
2. गणेशराम पुत्र प्रभुदयाल
3. गोलू पुत्र जीवण
4. जितेन्द्र पुत्र जीवण
5. बाबूलाल पुत्र मांगूराम
6. बोदूराम पुत्र मांगू
7. मोहरी पत्नि जीवण

समस्त जाति रैगर निवासी ढीण्ढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण

–:निर्णयः– दिनांकः–12.05.2023

पत्रावली कैम्प कोर्ट ढीण्ढा में पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस

12/05/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 611/226 लगा0 618/226 किता 8 कुल रकबा 1.5176 हेक्टेयर वाकै ग्राम ढीण्ढा पटवार हल्का ढीण्ढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के लिए व मवेशीयो व कृषि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नं0 607/226 रकबा 0.2276 हेक्टैयर, वाकै ग्राम ढीण्ढा पटवार हल्का ढीण्ढा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में से मार्क ए0 से बी0 10 फुट चौडा व 300 फीट लम्बाई का रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध कराया जावे। उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने व पशुओं के लिए चारा वगैरह लाने ले जाने की सुविधा मिल सकती है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी उक्त रास्ते के लिए धारा 251ए राज0टिनेसी ऐक्ट के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने हेतु तत्पर एवं तैयार है।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प ग्राम ढीण्ढा में पेश हुई। प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 के फौत हो जाने कारण उसकी पत्नि पोस्ती देवी पत्नि कन्हैयालाल तथा पुत्र श्री राम सहाय उज्जवल पुत्र श्री कन्हैया लाल उज्जवल उपस्थित। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का मजमेआम मे सुना गया तथा पक्षकारान को आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु मजमेआम मे समझाईश की गयी। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

-:क्रियात्मक आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सुवालाल को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 611/226 लगा0 618/226 किता 8 कुल रकबा 1.5176 ग्राम ढीण्ढा में आने-जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नं0 607/226 रकबा 0.2276 है0 में से 10 फुट चौर्डा एवं 317 फुट लम्बाई का रास्ता खसरा नं0 607/226 रकबा 0.2276 है0 की पश्चिमी सीमा पर दिये जाने हेतु आदेश दिया जाते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि 611/226 लगा0 618/226 में से दक्षिणी सीमा पर रास्ते के समतुल्य भूमि अप्रार्थीगण को दी जाती है। तहसीलदार जोबनेर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2023 कैम्प कोर्ट ग्राम ढीण्ढा में टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

12/05/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर